न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 05/2024
अनवान : —

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामकिशन जाति कुम्हार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए 1955
उपस्थिति :—श्री महेश कुमार बंसल **प्रार्थी**
राजपैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 13/12/24

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 जे.जी. डब्ल्यू पटवार हल्का निनाण के खाता संख्या 72/19 के मु0न0 3 के किला नं0 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुल किता 15 की 2.7310है नहरी, 0.0520है0 गै0मु0 रास्ता, मु0न0 6 के किला नं0 1, 2, 3 कुल 0.6840है0 नहरी व 0.0750है0 गै0मु0 खाला कुल किता 21 की 3.5420है0 जिसमें 3.4150है0 नहरी, 0.0520है0 गै0मु0 रास्ता, 0.0750है0 गै0मु0 खाला सयुक्त खाता की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपरोक्त विर्णित वाद भूमि में प्रार्थी कृष्ण पुत्र रामकिशन का 1/5 हिस्सा, बाधोदेवी पत्नी रामकिशन का 1/5 हिस्सा, बालूराम वल्द रामनिवास का 1/5 हिस्सा, रामकुमार वल्द रामकिशन का 1/5 हिस्सा, रामकिशन वल्द हरीसिंह का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम कृष्ण वल्द रामकिशन व प्रार्थी की माता का नाम बाधोदेवी पत्नी रामकिशन दर्ज है। जबकि प्रार्थी का नाम सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि में कृष्ण कुमार पुत्र रामकिशन दर्ज है तथा प्रार्थी की माता का नाम घोघड़ी दर्ज है। प्रार्थी की माता घोघड़ी का देहान्त हो चुका है जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र में भी घोघड़ी दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी व प्रार्थी की माता का नाम का नाम अलग—अलग दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी अपना व अपनी माता का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का काननी अधिकारी है।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज [illegible] जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना [illegible] किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:11 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामकि[illegible] जाति कुम्हार निवासी [illegible] ने दसतावेज प्रर्दशित करवायें।

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम कृष्ण कुमार पुत्र रामकिशन व प्रार्थी की माता का नाम घोघड़ी है जबकि राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज करते समय नाम कृष्ण कुमार की जगह कृष्ण व घोघादेवी उर्फ घोघड़ी की जगह कमशः कृष्ण पुत्र रामकिशन व बाधोदेवी पत्नी रामकिशन दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी व प्रार्थी की माता के पक्ष में निष्पादित बैयनामा दिनांक 22.06.1979 एवं प्रदर्श 11 ए में सही नाम कृष्ण पुत्र रामकिशन व घोघादेवी पत्नी रामकिशन दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों व रिपॅार्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा चक 3 जे.जी. डब्ल्यू पटवार हल्का निनाण के खाता संख्या 72/19 के मु0न0 3 के किला नं0 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुल किता 15 की 2.7310है नहरी, 0.0520है0 गै0मु0 रास्ता, मु0न0 6 के किला नं0 1, 2, 3 कुल 0.6840है0 नहरी व 0.0750है0 गै0मु0 खाला कुल किता 21 की 3.5420है0 जिसमें 3.4150है0 नहरी, 0.0520है0 गै0मु0 रास्ता, 0.0750है0 गै0मु0 खाला सयुक्त खाता की कृषि भूमि राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम कृष्ण पुत्र रामकिशन व प्रार्थी की माता का नाम बाधोदेवी पत्नी रामकिशन दर्ज है, पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम कृष्णकुमार पुत्र रामकिशन व माता का सही नाम घोघडी पत्नी रामकिशन है । तहसीलदार भादरा द्वारा प्राप्त रिपॅार्ट में उक्त नाम राजस्व रिकार्ड में बैयनामा के अनुसार अंकन होना बताया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र/वाद प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वे रोही मौजा चक 3 जे.जी. डब्ल्यू पटवार हल्का निनाण के खाता संख्या 72/19 के मु0न0 3 के किला नं0 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुल किता 15 की 2.7310है नहरी, 0.0520है0 गै0मु0 रास्ता, मु0न0 6 के किला नं0 1, 2, 3 कुल 0.6840है0 नहरी व 0.0750है0 गै0मु0 खाला कुल किता 21 की 3.5420है0 जिसमें 3.4150है0 नहरी, 0.0520है0 गै0मु0 रास्ता, 0.0750है0 गै0मु0 खाला सयुक्त खाता की कृषि भूमि राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज है में कृष्ण पुत्र रामकिशन व बाधोदेवी पत्नी रामकिशन का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम कृष्ण कुमार पुत्र रामकिशन व घोघादेवी उर्फ घोघड़ी पत्नी रामकिशन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। एवं कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि बाधोदेवी पत्नी रामकिशन के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम बाधोदेवी पत्नी रामकिशन ही लागू होगा। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/12/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

ालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

ं0 – 05/2024

ान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री रामकिशन जाति कुम्हार निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेश बंसल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 जे.जी. डब्ल्यू पटवार हल्का निनाण के खाता संख्या 72/19 के मु0न0 3 के किला नं0 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कुल किता 15 की 2.7310है नहरी, 0.0520है0 गै0मु0 रास्ता, मु0न0 6 के किला नं0 1, 2, 3 कुल 0.6840है0 नहरी व 0.0750है0 गै0मु0 खाला कुल किता 21 की 3.5420है0 जिसमें 3. 4150है0 नहरी, 0.0520है0 गै0मु0 रास्ता, 0.0750है0 गै0मु0 खाला सयुक्त खाता की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में कृष्ण पुत्र रामकिशन व बाधोदेवी पत्नी रामकिशन का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम कृष्ण कुमार पुत्र रामकिशन व घोघादेवी उर्फ घोघड़ी पत्नी रामकिशन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। एवं कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि बाधोदेवी पत्नी रामकिशन के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम बाधोदेवी पत्नी रामकिशन ही लागू होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.01.31 11:19:11 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner